न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री मुकेश कुमार मीणा, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 297 / 2022

उनवान

1– कन्हैयालाल पिता भैरू दरोगा निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा
2– निर्मला पत्नी ओकप्रकाश दरोगा निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा
3– प्रहलाद कुमार पिता भैरू दरोगा निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा
4– भुपेन्द्र सिंह पुत्र ओमप्रकाश दरोगा निवासी शाहपुरा तहसील शाहप

– **प्रार्थीगण**

बनाम

1– लक्ष्मीनारायण पिता सेवा धाकड़ निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा
2– शंकर पिता सूरजमल धाकड़ निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा
3– विनोद कुमार पिता सुवालाल दरोगा निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा
4– घीसू पिता लादू नायक निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा
5– मांगीलाल पिता लक्ष्मण नायक निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा

– **विपक्षीगण**

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश वर्मा : अधिवक्ता प्रार्थीगण
2– श्री योगेन्द्र सिंह भाटी : अधिवक्ता विपक्षी सं. 3

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

–:: निर्णय ::–

दिनांक– **28/02/2024**

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – ग्राम **शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा** तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा में स्थित **आराजी नम्बर 2905 रकबा 0.67 है0** कुल किता **1** रकबा **0.67** हैक्टेयर के प्रार्थीगण **संयुक्त खातेदार काश्तकार** है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर **विपक्षीगण** को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 16.08.2022 को विपक्षी सं. 03 की ओर से अभिभाषक श्री दुर्गालाल राजोरा द्वारा अधिकार पत्र प्रस्तुत किया गया। एवं **विपक्षीगण संख्या 1, 2, 4, 5** बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी। तथा प्रकरण जवाब विपक्षी सं. 03 के नियत किया गया। दिनांक 02.01.2024 तक विपक्षी सं. 03 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने से जवाब हेतु अंतिम अवसर इस निर्देश के साथ दिया गया कि आगामी पेशी पर जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर जवाब स्वतः बंद समझा जावेगा। दिनांक 05.02.2024 को विपक्षी सं. 3 का जवाब बंद किया जाकर प्रकरण वास्ते बहस के नियत किया गया। दिनांक 28.02.2024 को उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। बहस में अभिभाषक वादी ने बताया कि आराजी सं0 2905 रकबा 0.67 है0 का खातेदार काश्तकार हूं। जिसकी जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। मौके पर सीमा संबंधी विवाद होने से मैं उक्त आराजियात की पत्थरगढी करना चाहता हूं। हम खातेदार काश्तकार होकर अपनी स्वयं की आराजियात की पत्थरगढी करने हक अधिकार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर पत्थरगढी कराये जाने के आदेश प्रदान करावें। अभिभाषक विपक्षी सं. 03 ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थीगण द्वारा विवाद बाबत कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गयी है। हमने मैके पर कोई विवाद नहीं किया है। अतः मौके पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होने से प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जावे। प्रकरण का अवलोकन, प्रस्तुत दसतवेजात को देखा गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा संवत 2076 से 2079** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् **प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी में** दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। खातेदार काश्तकार

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला शाहपुरा (राज)

होने से उन्हें अपनी आराजिया की पत्थरगढ़ी कराने का हक अधिकार है। अतः **प्रार्थीगण** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **शाहपुरा** में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त **संयुक्त खातेदारी** की आराजीयात् किता **1 रकबा 0.67 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर **फीस 500/– रूपये** कायम किये जाते है, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **28/02/2024** को सरे ईजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला-शाहपुरा (राज.)

(मुकेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला शाहपुरा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला शाहपुरा